न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–01, गाजीपुर
उपस्थितः शक्ति सिंह–I (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O. Code No.–UP6352
फौजदारी निगरानी संख्या–191/2024
CNR No. UPGH01004598–2024

तरन्नुम खातून पुत्री फिरोज खान ग्राम खिजिरपुर, थाना जमानियां, जनपद गाजीपुर।
––––––––निगरानीकर्ती

बनाम

1. **इरफान खाँ**
2. **सरताज खाँ**
3. **शहनवाज खाँ** ....पुत्रगण शाहजहाँ खाँ
4. **इमरान खाँ**
5. **सरफराज खाँ पुत्र इदरीश**

समस्त निवासीगण ग्राम खिजिरपुर, थाना जमानियां, जनपद गाजीपुर।

6. **ताकि**
7. **इमामुद्दीन** ....पुत्रगण क्यामु उर्फ क्यामुद्दीन हाफिज
8. **क्यामु उर्फ कयामुद्दीन हाफिज पुत्र सयामुद्दीन**
9. **राफिया पुत्री क्यामु उर्फ क्यामुद्दीन हाफिज**

समस्त निवासीगण ग्राम महरुपुर, थाना मुहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर।
––––––––––––विपक्षीगण

निर्णय

1– प्रस्तुत फौजदारी निगरानी, निगरानीकर्ती की ओर से विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजीपुर द्वारा प्रकीर्ण फौजदारी वाद संख्या–1116/2024 तरन्नुम खातून बनाम इरफान खान आदि अन्तर्गत धारा–156(3) दं.प्र.सं., थाना जमानियां, जिला गाजीपुर में पारित आलोच्य आदेश दिनांकित–22.07.2024 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है, जिसके माध्यम से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता/आवेदिका के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं.प्र.सं. को खारिज किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

2– प्रस्तुत फौजदारी निगरानी के संबन्ध में सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका तरन्नुम खातून द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा–156(3) दं.प्र.सं. इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थिनी स्थित मुहल्ला खिरिजपुर अलीनगर, थाना जमानियां, जनपद गाजीपुर की मूल निवासिनी है और बालिग है। प्रार्थिनी को शादी का झांसा और धोखा देकर गांव का ही लड़का इरफान खान पुत्र शाहजहां शारीरिक सम्बन्ध बनाया और बाद में शादी करने से इंकार कर दिया। प्रार्थिनी ने इसके बाबत एक मुकदमा इरफान के विरूद्ध जो मु०अ०सं० 25/2022 अन्तर्गत धारा 376, 452, 323, 504, 506, 427 भा०द०वि० थाना जमानियां, जनपद गाजीपुर में दर्ज है, जिसमें मुल्जिम माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में क्रिमिनल मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन नं० 12233/2022 में पीड़िता से शादी की बात कहा है, लेकिन ऐसा न करके उसने दिनांक 20.05.2024 को रात्रि में राफिया पुत्री क्यामु उर्फ क्यामुददीन हाफिज स्थित ग्राम महरूपुर, थाना मुहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर से शादी कर लिया है और 03 बजे भोर में इरफान खान मुल्जिम और सरफराज, सरताज, शहनवाज, इमरान खान, तारिक, इमामुददीन तथा कई और लोगों के साथ तीन चार पहिया वाहन में बैठकर गांव पर आया, उसको मैंने भी देखा और कई लोगों ने भी देखा जिसमें एक औरत पर्दे में इरफान के साथ घर में दाखिल हुई, जो इरफान व इरफान के घरवालों ने प्रार्थिनी की जिन्दगी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और 5 बजे सुबह से ही मुझे व मेरे परिवार को जान मारने की सभी लोग धमकी दे रहे थे और चिल्लाकर कह रहे थे कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में हमारी जमानत शादी करने के लिये ही दिया है और इरफान आज उपरोक्त मुकदमें में दिनांक 21.05.2024 को तारीख थी, मैं भी न्यायालय आयी थी, अकेले जानकर न्यायालय में भी हंस–हंस कर रकह रहा था कि मैंने तो शादी कर लिया है, अब जो करना है कर लो। प्रार्थिनी द्वारा घटना की सूचना दिया और मैं अपने घर पहुंची तो मुल्जिमान और थाना स्थानीय की पुलिस मिलकर एक षड़यंत्र करके सोची समझी साजिश के तहत बिल्कुल फर्जी घटना दिखाकर दिनांक 20.05.2024 को समय 8 बजे शाम दिखाकर मेरे परिवार के शहनवाज, तरन्नुम, फिरोज तथा अख्तरी के परिवार के शहंशाह परवीन, अरशद खां व स्वयं अख्तरी के विरूद्ध धारा 147, 452, 323, 504, 506, 427 भा०द०वि० अ०सं० 132/2024 दर्ज कराया, जो बिल्कुल फर्जी है। प्रार्थिनी ने दिनांक 22.05.2024 को घटना की सूचना व्यक्तिगत रूप से पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर को दिया तथा रजिस्टर्ड डाक से भी दिया। ऐसी परिस्थिति में आवेदक द्वारा न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर थाना जमानियां में रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना कराये जाने का आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

3– आवेदक को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156 (3) दं.प्र.सं. पर सुनकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक–22.07.2024 को गुणदोष के आधार पर प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का आदेश पारित किया गया है। इसी आदेश से क्षुब्ध होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

4– निगरानीकर्ता/आवेदक ने अपनी निगरानी में आलोच्य आदेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि आलोच्य आदेश वास्तविकता व कानून के विपरीत है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली का सही से परिशीलन नहीं किया और गलत नतीजे पर पहुँच गया है। परिवादिनी ने घटना के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक से मिलकर और रजिस्टर्ड डाक द्वारा सारे तथ्यों से अवगत कराकर विपक्षीगण के विरूद्ध दरखास्त दिया और 156 (3) द०प्र०सं० की दरखास्त उसी समय दी जाती है, जब मामला संज्ञेय अपराध से सम्बन्धित है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दरखास्त के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण ने धारा 147, 149, 504, 506, 500, 420 भा०दं.सं० का अपराध कारित किया है, जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने सही से परिशीलन नहीं किया और गलत नतीजे पर पहुंच गयी। परिवादिनी ने अपनी दरखास्त 156 (3) द०प्र०सं० में स्पष्ट रूप से लिखा है कि दिनांक 22.05.2024 को पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को व्यक्तिगत रूप से और दिनांक 12.06.2024 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिया। विपक्षी की जमानत शादी करने के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से थी, लेकिन विपक्षीगण षडयंत्र करके दिनांक–20.05.2024 को उसने शादी किया और जमानियां पुलिस को सभी विपक्षीगण लोग आपस में साजिश करके धोखा देकर और आपराधिक षड़यंत्र के तहत दूसरी लड़की से शादी कर लिया। न्यायालय द्वारा यह गलत बात लिखी गयी है कि उसके पति किसी अन्य महिला के साथ रह रहा है। यह बात निगरानीकर्ती के प्रार्थना पत्र में कहीं नहीं है और न्यायालय स्वयं भ्रम पैदा किया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर संज्ञेय अपराध साबित है और विपक्षीगण में कई विपक्षीगण के ऊपर गम्भीर मुकदमें है, जो संज्ञेय प्रकृति के हैं, जिसको निगरानीकर्ती ने अपने प्रार्थना पत्र में लिखा है। इसके बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय गलत नतीजे पर पहुँची है। उपरोक्त आधार पर आलोच्य आदेश दिनांकित–22.07.2024 को अपास्त किये जाने की याचना की गयी है।

5– निगरानीकर्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में आलोच्य आदेश की

प्रमाणित प्रतिलिपि कागज संख्या–5 ब/1 लगायत 5 ब/2 प्रस्तुत की गयी है।

6– विपक्षीगण की ओर से निगरानी मेमों के विरुद्ध कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

7– विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि विद्यमान नहीं है। अतः निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

8– निगरानीकर्ती के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तथा आलोच्य आदेश का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

9– प्रश्नगत प्रकरण में आवेदिका द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 156(3) दं.प्र.सं. में यह उल्लिखित किया गया है कि आवेदिका द्वारा विपक्षी सं०–1 इरफान के विरुद्ध मु०अ०सं०–25/2022 अन्तर्गत धारा 376, 452, 323, 504, 427 भा.दं.सं., थाना जमानियां, जनपद गाजीपुर पंजीकृत कराया गया है, जिसमें अभियुक्त इरफान माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार जमानत पर है। साथ ही यह भी उल्लिखित किया गया है कि विपक्षी/अभियुक्त इरफान द्वारा आवेदिका व उसके परिवार के लोगों के विरुद्ध दिनांक 20.05.2024 को समय 8 बजे शाम की घटना दर्शित करते हुए मु०अ०सं०–132/2024 अन्तर्गत धारा 147, 352, 323, 504, 506, 427 भा.दं.सं., थाना जमानियां में फर्जी तौर पर पंजीकृत कराया गया है, जबकि विपक्षीगण ने उसका मजाक उड़ाया व जान से मारने व झूंठे मुकदमें फंसाने की धमकी दिया है।

10– आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र 156(3) दं.प्र.सं. में किये गये अभिवचनों तथा आलोच्य आदेश दिनांकित–22.07.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका व अभियुक्तगण के मध्य पूर्व से दाण्डिक कार्यवाहियाँ लम्बित हैं। सम्बंधित थाना द्वारा भी अपनी आख्या में यह उल्लिखित किया गया है कि मु०अ०सं०–132/2024 में आवेदिका पक्ष के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है तथा आवेदिका तरन्नुम खातून उपरोक्त द्वारा अपने बचाव में बढ़ा–चढ़ाकर प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिससे प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है कि आवेदिका द्वारा अपने विरुद्ध विवेचनाधीन मुकदमें में विपक्षीगण पर दबाव बनाने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

11– यहाँ यह उल्लेखनीय है कि निगरानीकर्ती द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये अपने आवेदन में मात्र एक महिला को परदे में विपक्षी इरफान के साथ घर में दाखिल होने का कथन किया गया है। मात्र उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर यह माने जाने का आधार पर्याप्त नहीं है कि विपक्षी इरफान द्वारा किसी अन्य महिला से विवाह कर लिया गया है।

12– उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने प्रकरण में कोई संज्ञेय अपराध कारित न होने के बावत जो अभिमत व्यक्त किया गया है, वह अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए विधिक प्रावधानों के अनुरूप पारित किया है। उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि विद्यमान नहीं है। तदनुसार यह निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्ती द्वारा प्रस्तुत फौजदारी निगरानी निरस्त की जाती है। तदनुसार विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजीपुर द्वारा प्रकीर्ण फौजदारी वाद संख्या–1116/2024 तरन्नुम खातून बनाम इरफान खान आदि अन्तर्गत धारा–156(3) दं.प्र.सं., थाना जमानियां, जिला गाजीपुर में पारित आलोच्य आदेश दिनांकित–22.07.2024 पुष्ट किया जाता है।

मूल पत्रावली इस निर्णयादेश की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को अविलम्ब वापस प्रेषित की जाये।

दिनांक–16.07.2026

(शक्ति सिंह–I)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–01, गाजीपुर

उपरोक्त निर्णय व आदेश, मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–16.07.2026

(शक्ति सिंह–I)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–01, गाजीपुर

Digitally signed by SHAKTI SINGH
Date: 2026.07.16 17:50:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court